	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 01, मंगलवार, *शाके 1946*-जुलाई 23, *2024* *Sravana 01, Tuesday, Saka 1946- July 23, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 19, 2024

संख्या प. 2(20)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुयेए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज.पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना

अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन ।

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल हैक्टर मे	भूमि किस्म
1	ताखा	अंता	बारां	उतर:- कृषि भूमि, भूमि ख. न. 343 दक्षिण:- राजस्व भूमि ख. न. 369 पश्चिम:- राजस्व भूमि ख. न. 337 पूर्व:- सरहद ग्राम बावडीखेडा ।	ताखा	368	2.25	जंगलात
					योग	1 किता	2.25	

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र.स.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula, Wall	धौकडा, धौ, फलधी, धोक
2	Acacia catechu Willd	खैर
3	Balanites roxburghi, Roxb	हीगोट
4	Butea mono sperma, Koenig	फलास, खाखरा, छोला
5	Emblica officinalis	आंवला
6	Cassis, Fistula Linn	अमलतास
7	Diospyros melanoxylon, Rech	तेन्दू टेमरू
8	Madhuca latifolia, Roxb	महुआ
9	Tectona grandis, Linn	सागवान
10	Termincalia arjuna, Bedd	अर्जुन, कोहडा
11	Moringa oleifera	सेजना
12	Holoptelea integrifolia, Planch	चुरेल, कुंज, कांज

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला:- बारां

तहसील:- अन्ता

रेंज:- अन्ता

वनखण्ड:- ताखा

ग्राम:- ताखा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो कराये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड भूमि ल्हासी एवं विभिन्न सडक परियोजनायो (संलग्न सूची) में आई वन भूमि के बदले आवंटित गैर वन भूमि है। चूकि उक्त आदेश में इस वन मंडल अधीन वन संरक्षण अधिनीयम 1980 के तहत चल रहै 24 प्रकरणो में इकजाई 103.40 हे0 भूमि का आवंटन हुआ है। संलग्न आदेश है।
9. उक्त क्षेत्र सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व तृतीय के रूप में अधिसूचित हो चूका है। (प्रति संलग्न)

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।